न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी विखंडण वाद संख्या–37/2014

उपेन्द्र नारायण झा बनाम शान्डील कुमारी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
5.8.15 6.8.15	**आदेश** यह वाद उपेन्द्र नारायण झा पे0–अनंत लाल झा, साकिन–सन्हौली, थाना–चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया ने शान्डील कुमारी जौजे–राजीव कुमार, साकिन–लाभगाँव, थाना+जिला–खगड़िया तथा मदन झा पे0– स्व0 राम झा, साकिन–सन्हौली, ~~साकिन–सन्हौली~~, थाना–चित्रगुप्तनगर, जिला खगड़िया को विपक्षी बनाते हुए लाया है। आवेदक का कहना है कि मौजा–हाजीपुर, तौजी नं0–525, थाना नं0–267, खाता–129, खेसरा–86, रकवा–02 बिघा 14 कट्टा 03 धूर के खतियानी रैयत रामधीण झा पे0–झोटी झा(छोटी झा), गोपाल झा पे0–भवेश झा वो मुसन झा पे0–सेवक झा के नाम ब–हिस्सा बराबर दर्ज है। उपरोक्त तीनों खतियानी रैयत अपने हिस्से के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 18 कट्टा 01 धूर जमीन पर स्वामित्व व शांति पूर्वक दखल कब्जा में आये। रामाधीण झा के मरणोपरांत 18 कट्टा 01 धूर जमीन पर उनके पुत्र अनंत लाल झा एवं भोला झा उनके हिस्से की 18 कट्टा 01 धूर जमीन पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में आये, उसमें से कुछ जमीन रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है, तथा शेष पर उनका दखल कब्जा विद्यमान है। अनंत लाल झा संयुक्त परिवार के कर्त्ता होने के कारण रिटर्न दाखिल उन्हीं के नाम से किया गया तथा अंचल सिरिस्ता जमाबंदी संख्या– 1081 रकवा 05 कट्टा 08 धूर उनके नाम कायम हुआ। आवेदक आगे बताते है कि अनंत लाल झा के पुत्र उपेन्द्र नारायण झा व गजेन्द्र नारायण झा 03 कट्टा जमीन रामसागर यादव तथा 01 कट्टा 10 धूर जमीन दिलेरी चौरसिया को बिक्री कर दी। शेष जमीन 18 धूर में से 10–12 धूर जमीन पर नगर परिषद सड़क निर्माण कर लिया है तथा शेष 05–06 धूर जमीन पर आवेदक अपने संयुक्त परिवार के साथ दखल कब्जे में है। आवेदक आगे बताते है कि आवेदक या उसके परिवार के कोई सदस्य, प्रश्नगत जमाबंदी की भूमि न विपक्षी संख्या–01 को और न विपक्षी संख्या–02 को बिक्री की है। परन्तु विपक्षी संख्या–02 अवैध रूप से दिनांक 01.08.1992 को दस्तावेज संख्या–6059 द्वारा सुनील प्रसाद सिन्हा के नाम से खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–86 का 10 धूर जमीन बिक्री कर दी। सुनील प्रसाद सिन्हा ने अवैध खरीदगी जमीन को बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 07.06.2000 द्वारा विपक्षी संख्या–01 शान्डील कुमारी को बिक्री कर दी, जिसका नामांतरण भी दाखिल खारिज वाद संख्या–735/2011–12 के द्वारा श्री मती शान्डील कुमारी के पक्ष में हो गया। जिसकी जमाबंदी संख्या–2669 कायम हुई आवेदक ने अंत में 2669 को अवैध बताते हुए विखंडित	

Received for service 10/9/15

देश का क्रम ख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	कर जमाबंदी संख्या–1081 में सन्निहित भूमि को पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया है। विपक्षीगण आपत्ति आवेदन दाखिल करते हुए कहा है कि रामाधीण झा के मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र अनंत लाल झा एवं भोला झा 18 कट्टा 01 धूर जमीन पर कब्जे में आये, परन्तु जान बूझकर यह छिपाया है कि उस जमीन में से रेलवे ने कितना जमीन अधिग्रहण किया तथा कितना जमीन पर उनका दखल कब्जा है? उन्होंने यह भी आपत्ति दर्ज की है कि आवेदक 05 कट्टा 18 धूर जमीन की जमाबंदी कायम की बात करते है जबकि उनके हिस्से के अनुसार खतियानी रैयत के वंशज के रूप में 18 कट्टा 01 धूर जमीन पर दावा करते है इस प्रकार आवेदक का कथन विरोधभाषी है। वास्तव में उपरोक्त खतियानी जमीन का रकवा सम्मिलित में अधिग्रहण हुआ था तथा बचे रकवा हिस्सा अनुसार रैयत या उनके वारिशान द्वारा बिक्री की गयी तथा स्थल पर 05 कट्टा 08 धूर जमीन का रकवा आवेदक के पूर्वज स्व0 अनंत लाल झा व विपक्षी संख्या–02 के पूर्वज राम झा की सम्मिलित भूमि की जमाबंदी–1081 कायम हुई, जिस जमाबंदी वाले रकवे पर विपक्षी संख्या–02 का भी जमाबंदी में बची हिस्सा वाली जमीन निहित है। मदन झा विपक्षी संख्या–02 को आवेदक ने अपना कथन में खतियानी रैयत का वारिशान नहीं बताया है। मदन झा ने पहले सुनील प्रसाद सिन्हा को तथा सुनील प्रसाद सिन्हा ने बाद में प्रश्नगत खाता–129, खेसरा–86 की 10 धूर जमीन उचित जड़सम्मन लेकर शान्डील कुमारी को दिनांक 07.06.2000 को दस्तावेज संख्या–2630 एवं 2631 द्वारा निबंधित कर दिया, जिसपर विपक्षी संख्या–01 का दखल कब्जा है, और उसपर उनका पक्ता छतदार मकान बना हुआ है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि चूँकि जमाबंदी संख्या–1081 में विपक्षी संख्या–02 का भी अधिकार निहित था, इसलिए विपक्षी संख्या–01 के नाम से जमाबंदी अंचल अधिकारी, खगड़िया ने दखल कब्जे के आधार पर कर दिया है तथा जमाबंदी संख्या–2669 कायम है। आवेदक का 10 धूर जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। इन्होंने यह भी बताया कि आवेदक का यह कथन की मदन झा के पिता राम झा के हिस्से की अलग जमाबंदी थी, बिना सबूत के असत्य है। बल्कि जमाबंदी संख्या–1081 सम्मिलित हिस्से की बची भूमि की जमाबंदी चल रही थी। आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या–01 के नाम से कायम जमाबंदी को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गयी है, केवल परेशान करने के नियत से यह वाद लाया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में आवेदक द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–185/2013 लाया गया, जिसमें विपक्षी संख्या–01 का कब्जा को विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा संपुष्ट भी कर दिया गया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी परिशीलन किया। बिहार भूमि	

देश की क्रम ख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अनुसार *"अपर समाहर्त्ता, को केवल वैसे ही जमाबंदी रद्द करने की शक्ति प्रदत्त हैं, जो वर्त्तमान में लागु किसी विधि के उल्लघंन में अथवा इस निमित्त किसी कार्यपालक निर्देश के अतिल्लघंन में सृजित की गयी हो।"*

अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र से यह मामला जमाबंदी रद्दीकरण अंतर्गत नहीं आता है, मामला स्वत्व से जुड़ा प्रतीत होता है, इसलिए आवेदक इसके उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय का शरण ले सकते है।

इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को उनके मूल अभिलेख के साथ वापस करें। एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

6/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

6/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

डी० बी० नं० 318 दिनांक 02/09/2015,
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- N.i.c खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के बेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।